संख्या-1/1290/11-3-16-232/11

प्रेषक,

हरेन्द्र वीर सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 06 जुलाई,2016

विषयः- वाणिज्य कर अधिकारियों के वेतनमान रू0 9300-34800 का ग्रेड पे रू0 4600/- के स्थान पर रू0 4800/- स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-स्था-2-वेतनमान पुनरीक्षण-2009-वा0क0 अ0-संघ/418/वाणिज्य कर, दिनांक 29-08-2013 एवं तत्क्रम में प्रेषित पत्र दिनांक 30-10-2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग मे वाणिज्य कर अधिकारी के पद की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-33/2016/ वे0आ0-2-493/दस-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0 , दिनांक 09, जून 2016 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- के स्थान पर वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/- इस शासनादेश के दिनांक से अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्तानुसार उच्चीकृत वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पद धारकों को वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2/841/दस-2009-59 (एम)/2008, दिनांक 24, दिसम्बर, 2009 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-564/ दस-2016, दिनांक 30 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1-1290(1)/11-3-2016 तद्दिनांक।

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(3) समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9 ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।